# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील** जीसीएमएस **संख्या** 2024/192

1. गिरधारी पुत्र माधो
2. पूरण पुत्र माधो
3. फूलाराम पुत्र माधो
4. रामकुमार पुत्र माधो समस्त जाति माली निवासी कैरली, तहसील विराट नगर जिला कोटपुतली ।
5. घीसी पुत्री माधो पत्नि श्री जमन जाति सैनी निवासी दांतिल, तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली ।
6. सरबती पुत्री माधो पत्नि छाजूराम जाति सैनी निवासी सरूण्ड, तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदारजी तहसील विराटनगर जिला कोटपुतली ।
2. कबूल पुत्र चौथमल जाति माली निवासी कैरली तहसील विराट नगर, जिला कोटपुतली ।
3. अमरा पुत्र सेवा जाति माली निवासी कैरली तहसील विराट नगर, जिला कोटपुतली ।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी विराट नगर जिला कोटपुतली बहरोड द्वारा प्रकरण संख्या 66/2023 पर पारित निर्णय दिनांक 19.12.2023 के संबंध में।

**उपस्थित–**

1. श्री मनीष पारीक वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक–08.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 19.12.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कैरली तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 1641/0.09 में से 0.09 1656/0.10 में से 0.02, 1657/016 में से 0.03, 1679/047 में से 0.05, 1654/0.12 में से 0.0050 हैक्टेयरके संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 19.12.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट गिरधारी पुत्र माधो वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर दिनांक 19.12.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानते हुए अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की वाके ग्राम कैरली तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.16 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1679 रकबा 047 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर भूमि में रास्ता निकालते हुवे राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश देते हुये मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरिये नक्शा रास्ता की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन करने के आदेश दिये गये। जब कि अपीलार्थीगण की कब्जे कारत व खातेदारी की आराजीयात मे ना तो रास्ता चालू है और ना ही कोई सी.सी. सड़क बनी हुई हैं और ना ही कोई पगडण्डी ही बनी हुई है। जबकि हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर ना तो रिकार्डेड कब्जे काश्तकार व खातेदारों को नोटिस ही दिया हैं। और ना ही अपीलार्थीगण के सामने बैठकर ही कोई कार्यवाही की गई हैं बल्कि समस्त कार्यवाही चुपचाप एवं एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं जबकि न्याय की दृष्टि से रिकार्डेड कब्जे काश्तकार को नोटिस देना चाहिए और इनके सामने ही इनकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार करना चाहिए बल्कि समस्त कार्यवाही एक ही दिवस के अन्दर अन्दर कर दी गई।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.12.2023 को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र बाबत सहमति पत्र अपीलान्ट फूलाराम, रामकुमार, पूरण, गिरधारी पुत्रान माधो का नोटरी पब्लिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह फर्जी तौर पर पेश किया गया है क्योंकि ना तो अपीलार्थीगण ने ही कोई स्टाम्प ही खरीदा है और ना ही ऐसी कोई सहमति पत्र व शपथ पत्र पर अपनी अंगूठा निशानी लगाते हुवे प्रस्तुत किया है बल्कि ये समस्त कार्यवाही कुटरचित पेचीदा तौर पर षडयंत्र पूर्वक तैयार कराकर पेश की गई है। आराजी खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1679 रकबा 047 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि मे अपीलार्थीगण गिरधारी, पूरण फूलाराम, रामकुमार पुत्रान माधो के अलावा आराजीयात के रिकार्डेड 1/6 हिस्से का कब्जे काश्त व खातेदार टिनेन्ट धीसी पुत्री माधो हिस्सा 1/6 व सरबति पुत्री माधो हिस्सा 1/6 की रिकार्डेड कब्जे काश्तकार व खातेदार टिनेन्ट हैं। इनको भी सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस ही दिया और ना ही किसी प्रकार की शपथ पत्र या स्वीकृति पत्र ही पेश कराया गया हैं इससे साफ जाहिर हैं कि फूलाराम, सूरज, गिरधारी व रामकुमार पुत्र माधो के द्वारा कोई किसी प्रकार का सहमति पत्र इस शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया गया हैं बल्कि ये रामस्त कार्यवाही मिलीभगत से की गई हैं इससे साफ स्पष्ट हैं कि ना तो अपीलार्थीगण द्वारा ना ही 50/–रूपये का मुद्रांक ही खरीदा गया है और ना ही उस पर शपथ पत्र ही लिखा गया है और ना ही शपथ पत्र पर अपीलार्थीगण के अंगूठा निशानी ही है इसको भी आधार मानकर सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा



संभागीय आयुक्त
जयपुर

न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं के विरूद्ध उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 19.12.2023 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार विराटनगर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोडउचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. प्रार्थीगण ग्रामवासी राकेश कुमार सैनी, देवकरण सैनी, रामकुंवार सैनी निवासी ग्राम कैरली ने केवियट प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील रास्ते से संबंधित है एवं प्रभावित पक्षकार हैं। अपीलांट द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया ऐसी स्थिति में उन्हें सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्रों एवं प्रकरण एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण रास्ते संबंधी होने से न्यायहित में प्रार्थीगणो की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगणों ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नं. 1640, 1641, 1656, 1657, 1679, 1654 में से रास्ता काफी वर्षों से चालू है एवं आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 1679 में अतिक्रमण कर रास्ता का अवरूद्ध कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी सहमति स्टाम्प पेपर पर रास्ते हेतु दी गई थी।अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 22.05.2024 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार विराटनगर द्वारा ग्राम कैरली के खसरा नंबर 1641/0.09, 1656/0.10, 1640/0.28, 1657/0.16 1679/047, 1654/0.12 हैक्टेयर पर मौके पर नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 132 एल0 आर0 एक्ट प्रस्तुत किया गया जिस पर खसरा नंबर 1641/0.09 में से 0.09 1656/0.10 में से 0.02, 1657/016 में से 0.03, 1679/047 में से 0.05, 1654/0.12 में से 0.0050 हैक्टेयर के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व

रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि आराजी खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1679 रकबा 047 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि मे अपीलार्थीगण गिरधारी, पूरण फूलाराम, रामकुमार पुत्रान माधो के अलावा आराजीयात के रिकार्डेड 1/6 हिस्से का कब्जे काश्त व खातेदार टिनेन्ट घीसी पुत्री माधो हिस्सा 1/6 व सरबति पुत्री माधो हिस्सा 1/6 की रिकार्डेड कब्जे काश्तकार व खातेदार टिनेन्ट हैं। अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फूलाराम, सूरज, गिरधारी व रामकुमार पुत्र माधो के द्वारा कोई किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत नही किया गया है ना ही स्टाम्प पेपर उनके द्वारा क्रय किया गया है ना ही उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी हैं। इनको अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस ही दिया और ना ही किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारजि किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश है कि:** अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 19.12.2023 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।